2008:CGHC:3512
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं</u>
<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति</u>

<u>याचिका (सिविल) संख्या 3169/2008</u>

सुरेश कुमार मित्तल एवं अन्य

बनाम

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत- कटघोरा एवं अन्य

<u>आदेश</u>

विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायाधिपति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधिपति

आदेश हेतु नियत : 20/08/2008

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधिपति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगल पीठ माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति

याचिका (सिविल) संख्या 3169/2008

याचिकाकर्तागण

1. सुरेश कुमार मित्तल, सुपुत्र स्वर्गीय श्री पी.सी. मित्तल, आयु लगभग 51 वर्ष, श्रेणी-2 ठेकेदार, निवासी कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
2. मोहनलाल गोयल, सुपुत्र स्वर्गीय श्री आशाराम गोयल, आयु लगभग 45 वर्ष, श्रेणी-1 ठेकेदार, निवासी ग्राम- कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
3. आर.के. बिल्डर्स, प्रोपराइटर- रमेश कुमार मित्तल, सुपुत्र- पी.सी. मित्तल, आयु लगभग 46 वर्ष, श्रेणी-1 ठेकेदार, निवासी ग्राम-कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत- कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
2. नगर पंचायत - कटघोरा, द्वारा अध्यक्ष, कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
3. कलेक्टर, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत
रिट याचिका

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
राज्य/ उत्तरवादीगण के लिए श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता।

आदेश
(20.08.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

(1) उत्तरवादी, नगर पंचायत, कटघोरा ने दिनांक 14.01.2008 को अपने विभिन्न वार्डों में सी.सी. सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया । पात्र ठेकेदारों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और अपने निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए। निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरें नगर पंचायत द्वारा प्रकाशित एस.ओ.आर. (निर्दिष्ट प्रस्ताव दर) से काफी कम थीं। इस मामले का विधिवत मूल्यांकन निविदा समिति द्वारा किया गया और दिनांक 03.03.2008 को नगर पंचायत की आम सभा की बैठक में रखा गया। नगर पंचायत ने यह संकल्प लिया कि निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य का निष्पादन संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अस्वीकृत किया जाए और नई निविदाएं आमंत्रित की जाएं। दिनांक 03.03.2008 के निर्णय के अनुपालन में, नगर पंचायत ने एन. आई. टी. दिनांक 20.3.2008 के माध्यम से नई निविदाएं आमंत्रित कीं। याचिकाकर्ताओं और अन्य निविदाकारों ने फिर से अपनी निविदाएं प्रस्तुत कीं, लेकिन इस बार भी निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरें एस.ओ.आर. से कम थीं, इसलिए, निविदा समिति के माध्यम से प्रसंस्करण के बाद नगर पंचायत ने दिनांक 07.05.2008 को यह संकल्प लिया कि निविदाकर्ताओं को एस.ओ.आर. और उनकी उद्धृत दरों के बीच की अंतर राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद ही उन्हें निविदा कार्य प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। यह संकल्प लिया गया कि अंतर राशि एक निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया जाए, ऐसा न करने पर संबंधित निविदाकारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और उन्हें नगर पंचायत, कटघोरा के किसी भी निविदा कार्य में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। उक्त निर्णय के बाद, दिनांक 16.05.2008 को एक आदेश प्रत्येक याचिकाकर्ता को तामील किया गया और यह निर्देश दिया गया कि चूंकि उनकी उद्धृत दरें एस.ओ.आर. से कम थीं, इसलिए उन्हें सात दिवस के भीतर अंतर राशि जमा करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी और उन्हें नगर पंचायत की किसी भी भविष्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता संख्या 1 को जारी किए गए प्रपत्र आदेशों में से एक का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत हैः।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा दर – 15.16 प्रतिशत एस.ओ.आर. से कम होने के कारण अंतर की राशि रुपये-207995/- (दो लाख सात हजार नौ सौ पंचानबे रुपये मात्र) इस कार्यालय में सात दिवस के अंदर जमा करें। समय सीमा में अंतर की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आपके द्वारा जमा अमानत राशि राजसात करते हुए आपको इस कार्यालय के किसी भी निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।"

(2) उपरोक्त आदेश प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न अभ्यावेदन दिए, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। अंततः दिनांक 09.06.2008 को, नगर पंचायत की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे निविदाकारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाए, हालांकि, यह निर्देश दिया गया कि उनके नाम हमेशा के लिए काली सूची में डालने के बजाय, उन्हें विचाराधीन कार्य से संबंधित भविष्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जाए। इसका मतलब है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि ऐसे निविदाकारों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के नामो को पूर्ण रूप से काली सूची में डालने के पिछली दंड को शिथिल कर दिया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि उन्हें वर्तमान निविदा कार्य में भाग लेने से वंचित किया जाए और उसके बाद दिनांक 12.06.2008 को एक नई निविदा सूचना (तीसरी एनआईटी) प्रकाशित की गई। इसी चरण में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.06.2008 की तीसरी निविदा सूचना को रद्द करने और दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी के अनुसार याचिकाकर्ताओं को कार्य आवंटित करने तथा उत्तरदातागण को नगर पंचायत, कटघोरा की निविदाओं में याचिकाकर्ताओं को भाग लेने से रोकने के लिए यह रिट याचिका दायर की गई थी।

(3) श्री पंकज श्रीवास्तव, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी में, यदि नगर पंचायत द्वारा प्रकाशित एसओआर से कम दरें उद्धृत की जाती हैं तो अंतर राशि जमा करने जैसी कोई शर्त नहीं थी, इसलिए, अंतर राशि जमा कराने का निर्णय बिल्कुल निराधार और बिना किसी अधिकार के था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब यह बिंदु उठाया गया, तो याचिकाकर्ताओं के प्रस्तावों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया और दिनांक 16.5.2008 के आदेश द्वारा, एक ओर, उन्हें सात दिवस के भीतर अंतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, ऐसा न करने पर, उनकी निविदाओं को रद्द करने और अग्रिम राशि आदि को जब्त करने का निर्देश दिया गया और दूसरी ओर, यह भी निर्देश दिया गया नागर पंचायत के भविष्य के निविदाओं में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जाएगा। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान कार्य के लिए भी भविष्य के निविदाओं में भाग लेने से वंचित करना, जैसा कि अंततः निर्णय लिया गया था, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए नगर पंचायत द्वारा लिया गया निर्णय रद्द किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमेश बजाज ने इन तर्कों का विरोध किया और नगर पंचायत की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि नगर पंचायत द्वारा किसी उपयुक्त ठेकेदार को निविदा कार्य प्रदान करने के इरादे से लिया गया ऐसा निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि एसओआर निविदा आमंत्रित करने वाली एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दर है, जिसमें निर्माण कार्य की लागत वाली न्यूनतम दर को ध्यान में रखा गया है। जब यह पाया गया कि निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य का निष्पादन प्राप्त करना संभव नहीं था और निविदाकर्ता अंतर राशि जमा करने में विफल रहे, तो निविदाएं रद्द कर दी गई और अब दिनांक 12.6.2008 को एक नई निविदा सूचना प्रकाशित की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता हमेशा एसओआर से कम दरों का उद्धरण दे रहे थे, इसलिए पहले यह तय किया गया था कि उन्हें अंतर की राशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर उनकी अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और उन्हें नगर पंचायत के किसी भी भविष्य के निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अंतर की राशि जमा नहीं की तो अंततः पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और नई निविदा प्रकाशित की गई। हालांकि, भविष्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें वंचित करने का आदेश शिथिल कर दिया गया और उन्हें केवल वर्तमान कार्य के लिए आमंत्रित की गई नई निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **टाटा सेल्यूलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1996 एस.सी. पृष्ठ 11; रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य, एआईआर 1999 एस.सी. 393; एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेटस -बनाम- यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2005) 1 एस.सी. सी. 679; और मास्टर मरीन सर्विसेज (पी) लिमिटेड -बनाम- मेटकाफ एंड हॉजकिंसन (पी) लिमिटेड और अन्य (2005) 6 ▯▯▯ 138** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) जहाँ तक न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेल्युलर मामले (उपरोक्त) में यह माना कि न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर लागू होंगे ताकि मनमानी या पक्षपात को रोका जा सके। हालाँकि, न्यायिक पुनर्विलोकन की उस शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं। सरकार राज्य के वित्त की संरक्षक है। उससे राज्य के वित्तीय हितों की

रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार हमेशा सरकार के पास उपलब्ध है। लेकिन, संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को निविदा स्वीकार करते या अस्वीकार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार सबसे अच्छे व्यक्ति या सबसे अच्छी बोली प्राप्त करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। चुनने के अधिकार को मनमानी शक्ति नहीं माना जा सकता है। बेशक, यदि उक्त शक्ति का प्रयोग किसी सहायक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उस शक्ति का प्रयोग रद्द कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना है और उसकी चिंता होनी चाहिए:

1. क्या किसी निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है?
2. विधि की भूल की है,
3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का दुरुपयोग किया है;
4. ऐसा निर्णय लिया है जो किसी भी उचित न्यायाधिकरण ने नहीं लिया होता; या
5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

(7) रौनक इंटरनेशनल पूर्वीक के मामले में, यह देखा गया था कि किसी अनुबंध का अधिनिर्णय, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी सार्वजनिक निकाय या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। वाणिज्यिक निर्णय पर पहुँचते समय, जो विचार सर्वोपरि महत्व के होते हैं, वे वाणिज्यिक विचार होते हैं, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वह मूल्य शामिल होगा जिस पर पक्ष काम करने को तैयार है, क्या प्रस्तावित वस्तुएं या सेवाएं अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुरूप हैं और क्या निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में विशिष्टताओं के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को वितरित करने की क्षमता है।

(8) इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पूर्वीक के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 14 सरकार को अपनी इच्छा और खुशी से मनमाने ढंग से ठेकेदार चुनने से रोकता है। अनुबंध प्रदान करते समय उसे उचित, निष्पक्ष और सार्वजनिक हित में कार्य करना होगा। साथ ही, कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ व्यापार करने का मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वह केवल यह दावा कर सकता है कि अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय, उसे सार्वजनिक हित के प्रतिकूल, अनुचित रूप से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्विवाद रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह कानूनी स्थिति दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि सरकारी अनुबंध अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति हैं और न्यायालय को निविदादाताओं और ठेकेदारों के साथ अपने व्यवहार में सरकार पर निष्पक्षता के मानकों को लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(9) मास्टर मरीन सर्विसेज पूर्वीक के मामले में, जिसका उल्लेख उत्तरदातागण के अधिवक्ता द्वारा किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना "कि चुनने के अधिकार को मनमानी शक्ति नहीं माना जा सकता है लेकिन, निविदा स्वीकार करते या अस्वीकार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। यदि सरकार सर्वोत्तम व्यक्ति या सर्वोत्तम उद्धरण प्राप्त करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। न्यायालय ने आगे माना कि राज्य, उसके निगम, उपकरण,
और एजेंसियों का यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तो न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए और इसे केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए।" उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेलुलर, रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड पूर्वीक, **एयर इंडिया लिमिटेड, -बनाम- कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2000) 2 एस.सी.सी. 617 और स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड, बनाम एम एंड एन पब्लिकेशन्स लिमिटेड, एआईआर 1996 एस.सी. 51** के मामलों में दिए गए अपने निर्णयों का उल्लेख किया है और उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी माना है कि राज्य निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनी विधि चुन सकता है और यदि निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं, तो सद्भावपूर्ण कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) इसलिए, यह स्पष्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत सार्वजनिक निकायों या राज्य द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर मनमानी को रोकने के लिए लागू होंगे क्योंकि राज्य एजेंसियों का यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। राज्य को उचित, निष्पक्ष और सार्वजनिक हित में कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में किसी के साथ अनुचित व्यवहार न हो और न ही भेदभाव किया जाए। राज्य, सार्वजनिक निकायों या उसके उपकरणों का निर्णय हमेशा सार्वजनिक हित में होना चाहिए जिसमें विधि के शासन को बनाए रखने का तत्व शामिल हो।

(11) प्रस्तुत मामले में, यदि हम दिनांक 14.1.2008 की पहली एनआईटी (निविदा आमंत्रण) को देखें, तो यह प्रतीत होगा कि एनआईटी में एक शर्त थी कि यदि उद्धृत दरें एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट्स) से कम हैं, तो अंतर की राशि जमा करना आवश्यक होगा। हालांकि, यह शर्त दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी, नगर पंचायत ने यह निर्णय लिया कि एसओआर और याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दर के बीच के अंतर की राशि उनके द्वारा जमा की जाएगी और उसके लिए सात दिवस की अवधि दी गई थी। इतना ही नहीं, नगर पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि यदि उक्त राशि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो...बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और उन्हें नगर पंचायत के किसी भी भविष्य के निविदा में भाग लेने से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। यह दिनांक 16.5.2008 को याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया था और जब याचिकाकर्ताओं ने अंतर राशि जमा नहीं की, तो अंततः उनकी निविदाएं रद्द कर दी गईं और नगर पंचायत ने उसी कार्य के लिए एक नई निविदा यानी तीसरी निविदा जारी करने का निर्णय लिया। यदि हम दिनांक 12.6.2008 की इस एनआईटी में निर्दिष्ट शर्तों को देखें, तो यह प्रतीत होगा कि अंतर की राशि जमा करने का खंड नगर पंचायत द्वारा फिर से डाला गया है। लेकिन तीसरी निविदा प्रक्रिया में, याचिकाकर्ताओं को नगर पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय के कारण भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसने अंततः हमेशा के लिए प्रतिबंध के निर्णय को केवल वर्तमान कार्य की निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध में ढील दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) श्री बजाज ने तर्क दिया है कि दूसरी एनआईटी को नगर पंचायत के तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर हटा दिया गया था क्योंकि उनकी गणना के अनुसार, किसी भी ठेकेदार के लिए एसओआर से नीचे काम करना संभव नहीं था और यदि अनुबंध एसओआर से कम राशि पर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से, काम की आवश्यक गुणवत्ता ठेकेदारों द्वारा नहीं दी जाएगी और पीड़ित नगर पंचायत होगी जो परिणामस्वरूप जनहित के खिलाफ जाएगी।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी अर्थात नगर पंचायत के पास विशेषज्ञों की टीम है और वे इन पहलुओं पर गौर कर सकते हैं और आगे यह कि नगर पंचायत को सबसे कम बोली लगाने वालों सहित किसी विशेष व्यक्ति को अनुबंध देने या अस्वीकार करने का अधिकार था, अर्थात याचिकाकर्ताओं को, लेकिन ऐसे अधिकार का मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, नगर पंचायत की कार्रवाई उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। चूंकि अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार याचिकाकर्ताओं के पास बोली लगाने वाले के रूप में बरकरार था, उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, नगर पंचायत द्वारा अग्रिम राशि आदि की जब्ती करने और याचिकाकर्ताओं को भविष्य के ठेकों में भाग लेने से वंचित करना काफी अनुचित और अन्यायपूर्ण था। यदि गुणवत्ता की कमी के कारण नगर पंचायत को दिनांक 20.3.2008 के एनआईटी से संबंधित निविदा प्रक्रिया को वास्तव में रद्द करना पड़ा था, तो वे इसे केवल रद्द कर सकते थे और सीधे दिनांक 12.6.2008 को जारी किए गए तीसरे एनआईटी को जारी करने के लिए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमा राशि जब्त करने और उन्हें वर्तमान कार्य की भविष्य की निविदा में भाग लेने से वंचित करने के बाद नहीं।

(14) नगर पंचायत का ऐसा निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर भी चलने योग्य नहीं है। काली सूची में डालना या आगे की रोक के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय ने **रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य व अन्य, एआईआर 1989 एससी 620** के मामले में कहा, "कि काली सूची में डालने का आदेश संबंधित व्यक्ति के भविष्य के व्यवसाय के लिए नागरिक परिणाम रखता है और आदेश से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का

अधिकार है और आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार है, भले ही नियम स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान न करते हों। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के हित के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मौलिक सिद्धांत यह है कि उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और यह कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए कि ऐसा आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए। अवसर केवल एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए और यह संबंधित व्यक्ति के लिए वास्तविक अवसर होना चाहिए ताकि वह अपने खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के प्रस्तावित परिणाम के खिलाफ संबंधित प्राधिकारी के विचार के लिए अपना मामला प्रस्तुत कर सके। जब मामला काली सूची में डालने या आगे की रोक से संबंधित होता है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना और भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इसका एक सिविल परिणाम होता है और यह किसी व्यक्ति को संबंधित प्राधिकारी के साथ विधिपूर्ण संबंध में प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से रोकता है, इसीलिए, निष्पक्षता यह मांग करती है कि उसे न केवल कारण बताने या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसे आदेशों के खिलाफ प्रतिनिधित्व का अवसर भी दिया जाना चाहिए। कि उसे काली सूची में डाल दिया। यह स्वीकृत है कि यह सब इस मामले में नहीं किया गया था और दिनांक 16.5.2008 को एक सीधा संचार सभी याचिकाकर्ताओं को भेजा गया था जिससे निश्चित रूप से एक सिविल परिणाम होता है।

(15) उपरोक्त विवेचन से हमारा मत हैं कि नगर पंचायत द्वारा याचिकाकर्ताओं को वर्तमान कार्य की भविष्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की कार्रवाई अनुचित थी। अब प्रश्न यह उठता है कि याचिकाकर्ताओं को क्या अनुतोष दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने क्रमांक 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 पर उल्लिखित कार्यों के संबंध में दिनांक 12.6.2008 की एनआईटी को रद्द करने और दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी के अनुसरण में उक्त कार्यों को उन्हें आवंटित करने का दावा किया है और उत्तरदातागण को नगर पंचायत, कटघोरा की भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने का भी दावा किया है जैसा कि दिनांक 16.5.2008 के पत्र में उल्लेख किया गया है। उत्तरदातागण ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी की प्रक्रिया बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी और दिनांक 12.6.2008 को एक नई एनआईटी जारी की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं को स्थायी रूप से बाहर करने का निर्णय भी बदल दिया गया था और यह तय किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को इस विशेष निविदा कार्य में भाग लेने से रोका जाएगा। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, दिनांक 20.3.2008 की एनआईटी के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को कोई भी कार्य प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है और न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे, यदि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 12.6.2008 की बाद की एनआईटी में भी भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

(16) इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जब हमने श्री बजाज से निविदा प्रक्रिया के वर्तमान चरण के संबंध में एक प्रश्न पूछा, तो उन्होंने आगे के निर्देशों की प्राप्त करने के लिए समय लिया और जवाब दिया कि दिनांक 25.6.2008 के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, अब तक, दिनांक 12.6.2008 की एनआईटी से संबंधित सभी बोलियां खोली जा चुकी हैं और हर कोई एक-दूसरे द्वारा उद्धृत दरों के बारे में जान चुका है, इसलिए, इस स्तर पर प्रतियोगिता में, आपस में, योग्य बोलीदाताओं के बीच याचिकाकर्ताओं को दिनांक 12.6.2008 की एनआईटी के खिलाफ अपनी बोलियां प्रस्तुत करने और उन्हें स्वीकार करने की अनुमति देना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। और उस स्थिति में, नगर पंचायत एक नया NIT प्रकाशित करना चाहेगी जिसमें, याचिकाकर्ताओं सहित, हर कोई भाग ले सके।

(17) परिणामस्वरूप, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया जाता है:

(क) दिनांक 12.6.2008 का एनआईटी (अनुलग्नक-पी/1) रद्द किया जाता है।

(ख) उत्तरदाता नगर पंचायत इन कार्यों के लिए एक नया एनआईटी जारी करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें याचिकाकर्ताओं को भी भाग लेने की अनुमति दी जाये।

(ग) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 20.3.2008 के एनआईटी के अनुसरण में जमा की गई अग्रिम राशि उन्हें वापस किया जाये।

(घ) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……Pritika Pandya

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur